IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET
आँगनबाड़ी अपील वाद सं0–20 / 2015
सुनीता कुमारी
बनाम
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई एवं अन्य

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.09.2016	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी सुनीता कुमारी पति–श्री अरूण कुमार यादव ग्राम–गोंगाकुरा थाना–झाझा जिला–जमुई के आवेदन दिनांक 04.04.2015 के आधार पर शुरू किया गया है जो उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के यहाँ दायर हुआ था तथा बाद में हस्तांतरित होकर जिला पदाधिकारी, जमुई के न्यायालय में आया। अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई के वाद सं0–15 / 2013–14 मनिता कुमारी, सुनीता कुमारी बनाम संगीता कुमारी में पारित आदेश दिनांक 7.3.15 के विरूद्ध यह वाद लाया है और इस आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन का आधार यह दिया है कि निम्न न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अपीलार्थी का कहना है कि चयनित सेविका संगीता कुमारी पोषक क्षेत्र की बहु नहीं बल्कि बेटी है और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का उनका आवासीय प्रमाण पत्र है जो कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झाझा द्वारा मिलीभगत करते हुए स्वीकृत किया गया है और उस आधार पर उसका चयन किया गया है। उनका यह भी कहना है कि चयनित सेविका द्वारा दाखिल मतदाता पहचान पत्र को भी निम्न न्यायालय द्वारा फर्जी पाया गया किन्तु उसके बावजूद उन्होंने चयनित सेविका के पक्ष में अपना निर्णय दिया। उनका यह भी कहना है कि चयनित सेविका का नाम भी मैपिंग पंजी में दर्ज नहीं था, किन्तु उसके बावजूद भी संगीता कुमारी का चयन बरकरार रखा गया है। 2. विपक्षी संगीता कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी संगीता कुमारी शादी के बाद अपने ससुराल ग्राम–पिपरिया थाना–पिपरिया जिला–लखीसराय से आकर ग्राम–गोंगाकुरा में खाता सं0–27 खेसरा सं0–1468 रकवा 2 एकड़ $7\frac{1}{2}$ डी0 जमीन निबंधित केवाला के द्वारा दिनांक 13.2.2012 को खरीद किया और अपना मकान बनाकर स्थायी रूप से अपने परिवार के साथ निवास करने लगी है। अब इन्हें ग्राम–पिपरिया से कोई सरोकार नहीं रहा है। अब वह वहाँ नहीं रहती है। विपक्षी संगीता कुमारी का ग्राम–गोंगाकुरा में वार्ड नं0–1 में मकान है जिसका आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–236 है। विपक्षी संगीता कुमारी	

को चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र निर्गत किया गया है और बिहार सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। विपक्षी का यह भी कहना है कि जमीन के केवाला में पता में ग्राम–पिपरिया दिया गया था चूँकि केवाला लिखवाने के पूर्व विपक्षी ग्राम–गोंगाकुरा का स्थायी निवासी नहीं थी। विपक्षी का यह भी कहना है कि विपक्षी बाहुल्य वर्ग की है और मैट्रिक पास है। विपक्षी का यह भी कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई के द्वारा जाँचकर विपक्षी की नियुक्ति को सही पाया गया और सुनीता कुमारी के आवेदन को खारिज कर दिया गया। आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु अर्हता कंडिका–4.7 के अनुसार गाँव की बेटी स्थायी रूप से माँ के यहाँ निवास करती है, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा चुनाव आयोग का फोटो प्रमाण पत्र तथा अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तो उनके चयन पर विचार किया जाएगा। इसी आलोक में विचार करते हुए विपक्षी को आँगनबाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति किया गया और नियुक्ति के बाद विपक्षी अब तक कार्यरत है। विपक्षी का चयन आम सभा की बैठक में हुआ है। नियम के अनुसार विपक्षी की नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन सुना एवं इस अपील में प्रस्तुत कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख पर संलग्न आँगनबाड़ी सेविका चयन विज्ञापन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन देने की अंतिम तिथि 10.02.2012 थी, जबकि चयनित सेविका द्वारा प्रस्तुत निवास प्रमाण पत्र दिनांक 22.02.2012 को अंचल कार्यालय, झाझा से निर्गत है। इससे स्पष्ट है कि चयनित सेविका द्वारा निवास प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन जमा करने के पश्चात् ही कार्यालय में जमा किया गया होगा। जहाँ तक संबंधित पोषक क्षेत्र में चयनित सेविका द्वारा जमीन निबंधित कराने के आधार पर उस पोषक क्षेत्र की निवासी होने का दावा किया जा रहा है इस संबंध में स्पष्ट है कि प्रश्नगत विक्रय विलेख दिनांक 13.02.2012 को निष्पादित हुआ था, जो कि आवेदन करने के बाद की तिथि है और यह भी स्पष्ट है कि किसी क्षेत्र में किसी की जमीन होने मात्र से वह वहाँ का स्थायी निवासी नहीं हो जाता है। जहाँ तक मतदाता पहचान पत्र के आधार पर चयनित सेविका का दावा है उसमें भी उनके द्वारा दाखिल किया गया मतदाता पहचान पत्र आवेदन देने की तिथि के बाद का है। यह विधि मान्य सिद्धांत है कि किसी भी पद पर चयन हेतु सभी अहर्ताएँ या योग्यताएँ विज्ञापन की तिथि को ही आधार मानते हुए निर्धारित की जाती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि चयनित सेविका संगीता कुमारी आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–236 ग्राम–गुंगाकुरा की सेविका पद पर चयन हेतु निर्धारित अहर्ताएँ विज्ञापन की तिथि या आवेदन देते समय भी धारित नहीं करती थी। चयनित सेविका का नाम मैपिंग पंजी में भी नहीं है जैसा कि बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा प्रकाशित मेधा सूची एवं चयनित सेविका के आवेदन की छायाप्रति के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है। चयनित सेविका ने मैपिंग पंजी पर कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं करायी थी।

इसलिए आम सभा की कार्रवाही दिनांक 10.09.2012 में भी उनका मैपिंग पंजी कमांक अंकित नहीं है। इस प्रकार चयनित सेविका संगीता कुमारी पति–सुबोध पासवान का चयन उचित प्रतीत नहीं होता है।

जहाँ तक अपीलार्थी सुनीता कुमारी की योग्यता एवं अर्हता का प्रश्न है इस संबंध में चयनित सेविका संगीता कुमारी द्वारा दाखिल पंचायत निर्वाचन, 2011 में गिद्धौर प्रखंड के सेवा पंचायत के वार्ड सं0–3 की मतदाता सूची की छायाप्रति दाखिल की गई है जिसमें अपीलार्थी का नाम परिवर्धन सूची में कमांक 677 पर अंकित है। अपीलार्थी के पति का नाम भी सेवा पंचायत में दर्ज है और इस तथ्य को अपीलार्थी ने Deny भी नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्वयं भी उस पोषक क्षेत्र की निवासिनी नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में चयनित सेविका के चयन को अनियमित पाते हुए निरस्त किया जाता है साथ ही चयनित सेविका के प्रमाण पत्र आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झाझा के कार्यालय में कैसे दाखिल हुए इस संबंध में कार्यालय कर्मियों एवं तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झाझा की भूमिका के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई जाँच करते हुए सम्यक कार्रवाई एक महीने के अंदर सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 10.09.2012 को आयोजित आम सभा के माध्यम से आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–236 झाझा परियोजना के लिए निर्मित पैनल विभागीय नियमावली के आलोक में समाप्त हो चुका है। अतः इस केन्द्र पर सेविका के चयन हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Kamlesh
16/5/16
जिला पदाधिकारी
जमुई।

Kamlesh
16/5/16
जिला पदाधिकारी,
जमुई।